

भारत सरकार
वित्तमंत्रालय
वित्तीयसेवाएं वभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्नसंख्या 1443

(जसिका उत्तर, 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ, 1941 (शक) को दिया जाना है)

मोबाइल वॉलेट कंपनियों

1443. श्रीलालू सहि:

श्रीरवन्द्रश्यामनारायण शुक्ला उर्फ रवकिशिन:

श्रीपी. पी. चौधरी:

श्रीरोडमल नागर:

क्या वित्तमंत्रियह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) मोबाइल वॉलेट सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनियों और ऑनलाइन भुगतान सेवाएं प्रदान करने वाली एजेंसियों द्वारा नियमों/दशा-नरिदेशोंके उल्लंघन के संबंध में दरू कए गए मामलों की संख्या कतिनी है और वगित पांच वर्षोंमें प्रत्येकवर्षके दौरान उक्त उल्लंघनकरताओंके खलिफ की गई कार्रवाईका ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या उक्त भुगतानों से संबंधित मौजूदा दशा-नरिदेशोंके अतरिकित कोई और बेहतर कार्ययोजनाभी तैयार की जा रही है;
- (ग) यदहिं, तो मध्य प्रदेशसहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) यदनिहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाईकी जा रही है?

उत्तर

वित्तमंत्रि(श्रीमतीनरिमलासीतारामन)

(क) से (घ): जैसाकि भारतीय रजिर्वबैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है, वगित पांच वर्षके दौरान वनियामकीय दशानरिदेशोंके उल्लंघन में पाए गए प्रीपेडभुगतान लखित (पीपीआई) जारीकरता, बैंक और सीमा पार मनी ट्रांसफर(केवल इन-बाउंड) आपरेटर की सूची नमिनानुसार है:

संस्था का नाम	आदेश की तिथि	जुरमाना(रुपए में)
एको इंडिया फाइनेंशियल सर्वसिजप्राइवेट लमिटिड	9 मार्च, 2017	5,00,000/-
माय मोबाइल पेमेंट्स लमिटिड	22 अक्टूबर, 2018	1,00,00,000/-
फोनपे प्राइवेटलमिटिड	14 फरवरी, 2019	1,00,00,000/-
वाई-कैश सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रा.लि.	22 फरवरी, 2019	5,00,000/-
वोडाफोन एम-पेसा लमिटिड	06 मार्च, 2019	3,05,00,000/-
जीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेटलमिटिड	26 मार्च, 2019	1,00,00,000/-
जपिकैश कार्डसर्वसिजप्रा.लि.	22 अप्रैल, 2019	11,25,000/-

येस बैंक लमिटेड	22 अप्रैल, 2019	11,25,000/-
वन मोबक्विक् सिस्टिम्स प्रा. लि.	17 मई, 2019	15,00,000/-
हपि बार प्राइवेट लमिटेड	24 मई, 2019	10,85,000/-
वेस्टर्नयूनियन फाइनेंशियल सर्वसैजिंक.	20 अप्रैल, 2018	29,66,959/-
मनीग्रामपेमेंट सिस्टिम्स इंक.		10,11,653/-

मोबाइल वॉलेट सहित प्रीपेड भुगतान लेखितों (पीपीआई) को जारी करने और परिचालन करने के संबंध में दिनांक 11.10.2017 (दिनांक 29.12.2017 और 25.02.2019 को अद्यतन किए गए) के आरबीआई के मास्टर निर्देश के अनुसार, पीपीआई जारीकर्ताओं को औपचारिक, सार्वजनिक रूप से बताई गई ग्राहक शिकायत निवारण संरचना लागू करने के लिए और उनके द्वारा परिचालित भुगतान प्रणालियों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए एक सुदृढ़ जोखिम प्रबंध प्रणाली होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, 'ग्राहक सुरक्षण- अधिकृत गैर-बैंकों द्वारा जारी किए गए प्रीपेड भुगतान लेखितों (पीपीआई) में अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेनों में ग्राहकों की देयता को सीमित करने' पर आरबीआई के दिनांक 4.1.2019 के परिपत्र द्वारा ग्राहकों की "शून्य देयता" निर्धारित की गयी है, जहां:

- जहां पर पीपीआई के माध्यम से अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेन सहभाग धोखाधड़ी/लापरवाही/पीपीआई जारीकर्ता की तरफ से कमी होने के कारण हुई है, मैं इस पर ध्यान दिए बिना कि ग्राहक द्वारा इसकी सूचना दी गयी है अथवा नहीं; अथवा
- घटना अन्य पक्ष द्वारा धोखा दिए जाने के कारण हुई हो पर यह कमी न पीपीआई जारीकर्ता की तरफ से है और न ही ग्राहक द्वारा की गई है बल्कि यह कमी अन्यत्र कहीं प्रणाली में है तथा ग्राहक अनधिकृत लेनदेन के संबंध में पीपीआई जारीकर्ता से सूचना प्राप्त होने से तीन कार्य दिवस के अन्दर पीपीआई जारीकर्ता को इसकी सूचना दे देता है।

इसके अतिरिक्त, पीपीआई जारीकर्ता को ग्राहक द्वारा ऐसी सूचना देने की तथिसे दस दिनों के अन्दर ऐसे लेनदेन में अन्तर्ग्रसशिको ग्राहकके पीपीआई में जमा कराना अनविर्य है।

इस परिपत्रमें कुछेक मामलों में अनधिकृत लेनदेनों के कारण होने वाली हानियों के लिए भी ग्राहककी सीमति जवाबदेही निर्धारितकी गई है। इसके अलावा, बैंकों द्वारा जारी पीपीआई के मामले में ग्राहक अपनी शिकायतों के समाधान के लिए बैंकगि लोकपाल योजना का सहारा ले सकते हैं।

आरबीआई भी नरितर संरक्षति एवं सुरक्षतितरीके से डिजिटल लेनदेनों को बढ़ावा देने और कमियों की पहचान करने तथा प्रणालीकी सुरक्षाबढ़ाने के लिए उन कमियों को दूर करने का प्रयासकरता है जिसमें प्रीपेड भुगतान लेखित (पीपीआई) भी शामिल है।
